

लोक प्राधिकारियों की बाध्यता
के लिए एक मॉडल टेम्पलेट – सूचना पुस्तिका
(RTI अधिनियम, 2005 के अध्याय II धारा 4 (I) बी का संदर्भ ले)

अध्याय 1

संगठन, कार्य और कर्तव्य

(धारा 4(1) (बी) (I))

संगठन, कार्य और कर्तव्य का विवरण :-

स.क्र.	संगठन का नाम	पता	कार्य	कर्तव्य
01	संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल	01, शिवाजी नगर, भोपाल-462016	गैस पीड़ितों के पुनर्वास कार्यक्रमों का सुचारु रूप से संचालन	गैस पीड़ित हितग्राहियों के सामाजिक, आर्थिक एवं चिकित्सा पुनर्वास से संबंधित कार्यों का सुचारु रूप से संचालन करना

अध्याय 2

अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य

(धारा 4(1) (बी) (II))

कृपया अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का विवरण दे और प्राधिकरण के कर्मचारी इस प्रकार हैं:-

स.क्र.	कर्मचारी/कार्यालय का नाम	पदनाम	आवंटित कार्य	प्रदत्त अधिकार
01.	श्रीमति करलिन खोंगवार देशमुख	संचालक	संचालक, संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास से संबंधित समस्त दायित्व/कार्य एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्य	
02.	सुश्री शांति छुरा	सहायक संचालक (वित्त)	वित्त/बजट संबंधी समस्त कार्य, भंडार, वाहन, एवं ऑडिट शाखा तथा लोक सूचना अधिकारी के कार्य/दायित्व	
03.	श्री बैनी माधव दत्ता	सहायक ग्रेड-3	भंडार शाखा, चिकित्सा व्यवस्था एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य	

अध्याय 3

निर्णय लेने प्रक्रिया में प्रक्रिया का पालन किया जाता है

(धारा 4(1) (बी) (iii))

लोकप्राधिकरण (उपायुक्त अधिकारी) द्वारा निर्णय लेते में अपनाई जानेवाली प्रक्रिया का वर्णन करें।

गतिविधि	विवरण	निर्णय लेने की प्रक्रिया	अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी का पदनाम
संस्थागत गतिविधियाँ	अधिनस्थ चिकित्सालयों का नियंत्रण एवं समूचित गैस पीड़ित रोगियों की जाँच एवं उपचार	सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ/लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, विभाग द्वारा समय-समय पर प्रेषित निर्देश/आदेशानुसार संचालन

लोक सूचना अधिकारी
संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग
भोपाल

अध्याय 4

कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

(धारा 4(1) (बी) (iv))

कृपया अपने कार्यों/ सेवाओं के वितरण के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों/ मानकों का विवरण प्रदान करें।

स.क्र.	कार्य/सेवा	मानदंड/प्रदर्शन सेट के मानक	समय सीमा	दस्तावेज विहितकरण चार्टर सेवा अध्याय
01	गैस पीड़ितों के पुनर्वास कार्यक्रमों का सुचारु रूप से संचालन	म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार	नियमानुसार/विधि अनुसार	प्राधिकृत अधिकारी एवं शाखा प्रभारी की निगरानी में

अध्याय 5

नियम, विनियम, निर्देश, नियामावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए

(धारा 4(1) (बी) (v) और (vi))

कृपया सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में या उसके कर्मचारियों द्वारा नियमों, विलियमों, निर्देशों मैनुअलों और रिकॉर्डों की सूची और विवरण प्रदान करें, जिनका उपयोग निम्नलिखित प्रारूप में कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है।
निमावली, रोस्टर , लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, विभाग के भर्ती नियम अनुसार

अध्याय 6

लोक प्राधिकरण द्वारा आपने नियंत्रण में रखगे एवं दस्तावेजों की श्रेणियों

(धारा 4(1) (बी) (vi))

सार्वजनिक प्राधिकरण या उसके नियंत्रण में रखे गए अधिकारिक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दें।

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1.	नियम	पेंशन नियम, अवकाश नियम एवं लागू होने वाले म.प्र. शासन के अन्य नियम इत्यादि	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार	सहायक संचालक स्तर के अधिकारी
2.	नियम	कैंसर प्रतिपूर्ति नियम	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार	सहायक संचालक स्तर के अधिकारी
3.	नियम	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा शर्तों) नियम, 2003 की प्रति	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार	सहायक संचालक स्तर के अधिकारी
4.	नियम	भोपाल गैस पीड़ित कैंसर रोगियों के लिए भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा लागू कैंसर नीति	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार	सहायक संचालक स्तर के अधिकारी
5.	अधिनियम	The Bhopal Gas Leak Disaster (Processing Of Claims) Act, 1985	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार	सहायक संचालक स्तर के अधिकारी
6.	अधिनियम	भोपाल गैस त्रासदी (जंगम सम्पत्ति के विक्रयों का शून्य घोषित किया जाना अधिनियम, 1985)	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार	कार्यालय प्रमुख स्तर के अधिकारी

Bam
लोक सूचना अधिकारी

अध्याय 7

नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए
(धारा 4(1) (बी) (vii))

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी के परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है।

अध्याय 8

बोर्ड, परिषद, समितिया और अन्य निकायलोक प्राधिकरण, भाग के रूप में गठित
(धारा 4(1) (बी) (viii))

निम्नलिखित प्रारूप में सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के बारे में जानकारी प्रदान करें।

बोर्ड का नाम , परिषद समिति आदि।	समोजन	शक्तिया और कार्य	या यह बैठके खुली जनता/मिनट इसकी बैठकों के लिए सुलभ जनता
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी, गैस राहत	----	चिकित्सा पुनर्वास के अंतर्गत विभाग के अधिनस्थ चिकित्सा ईकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण एवं चिकित्सालयों में सेवा संबंधित कमियों को चिन्हित कर सुधार हेतु शासन को नियमित रूप से अनुशंसा	नहीं

अध्याय 9

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

(धारा 4(1) (बी) (ix))

कार्यविभिन्न स्तरों पर विभिन्न इकाइयों या कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके वर्क के बारे में जानकारी प्रदान करें

क्रमांक	नाम	पदनाम	आंवटित कार्य	कार्यलय का पता
तृतीय श्रेणी				
1.	श्रीमती खुशबु वर्मा	लेखापाल रोगी कल्याण समिति	स्टेनो-विधवा पेंशन शाखा	संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग 01 शिवाजी नगर भोपाल
2.	श्री आर. के. पांडे	केशियर	केशियर	
3.	श्रीमती आशा कश्यप	रीडर	उपचार शाखा	
4.	श्रीमती पूर्णिमा नायडू	रीडर	न्यायिक, आडिट, शिकायत शाखा	
5.	श्री शिवराज कुमार मिश्रा	सहा. ग्रेड-3	वाहन, संसदीय शाखा	
6.	श्री प्रफुल्ल दीक्षित	सहा. ग्रेड-3	वित्त शाखा	
7.	श्री अरुण कुमार बाथम	सहा. ग्रेड-3	वित्त शाखा	
8.	श्री बैनी माधव दत्ता	सहा. ग्रेड-3	स्टोर, चिकित्सालयीन व्यवस्था शाखा	
9.	श्री विनोद विश्वकर्मा	एम.एस. डब्लू.	आर्थिक पुनर्वास शाखा	
10.	श्री कपिल कुमार खत्री	सहा. ग्रेड-3	स्थापना शाखा	
11.	जगदीश कुशवाह	स्थायी कर्मी	केयर टेकर	
चतुर्थ श्रेणी				
14.	श्री बंशीलाल रावत	वार्ड बॉय	आवक शाखा	संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग 01 शिवाजी नगर भोपाल
15.	श्री आनंद लोदिया	वार्ड बॉय	जावक शाखा	
16.	श्रीमती फरजाना परवीन	फोल्डर केरियर	फोटो कॉपी का कार्य	
17.	श्री शरद धसाल	प्रोसेस सर्वर	फोटो कॉपी	
18.	श्री राजकुमार बरगुरिया	प्रोसेस सर्वर	कोषालय मैसेन्जर	
19.	श्री रामभोग कुशवाह	स्थायी कर्मी	संचालक कक्ष	
20.	श्री पंचराज सिंह	वार्ड बॉय	संचालक कक्ष	

21.	श्री राजमल सौधिया	प्रोसेस सर्वर	बाहरी डाक वितरण
22.	श्री मों. खालिद	फोल्डर केरियर	बाहरी डाक वितरण का कार्य
23.	श्री रामगोपाल सविता	भृत्य	भृत्य का कार्य
24.	श्रीमती राधा बाई	भृत्य	भृत्य का कार्य
25.	श्री रमेश कोरी	वार्ड बॉय	वाहन चालक (आटो)
26.	श्री ईश्वर सोनवणे	वार्ड बॉय	वाहन चालक (मंत्री जी)
27.	श्री मनोज तिवारी	वाहन चालक	वाहन चालक (कार)

नोट:- अधीनस्थ चिकित्सालयों/कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न।

अध्याय 10

अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मासिक पारिश्रमिक, विनियमों में प्रदान की गई प्रणाली की क्षति पूर्ति सहित (धारा 4(1) (बी) (x))

कार्यरत अधिकारी का नाम	पदनाम संगठन	पारिश्रमिक प्रतिमाह
संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास के अंतर्गत पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नियमानुसार उनके मूल वेतन + शासन द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता के गणना के आधार पर किया जाता है।		

अध्याय 11

प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिस में योजनाएं आदि शामिल है

(धारा 4(1) (बी) (x))

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2022-23 में योजनावार प्रावधान एवं व्यय की जानकारी

क्रमांक	योजना का नाम एवं स्कीम नम्बर	बजट प्रावधान	अद्यतन व्यय
1.	0775-स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	1,14,13,05,000	97,52,09,095
2.	5669-मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	1,000	0
3.	(2210) 9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण-33-001-स्थायी संपत्तियों का अनुरक्षण	1,17,00,000	56,34,259
4.	3171-भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	1,95,25,000	1,32,01,568
5.	6735-ई-गवर्नेंस 42-सहायक अनुदान-007-अन्य	1,000	0
6.	7187-गैस प्रभावितों का पुनर्वास 51-अन्य प्रभार	1,000	0
7.	(2235) 9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण-33-001-स्थायी संपत्तियों का अनुरक्षण	4,00,00,000	2,71,94,586
8.	6735-ई-गवर्नेंस 42-सहायक अनुदान-007-अन्य	1,000	0
9.	6735-ई-गवर्नेंस 42-सहायक अनुदान-007-अन्य	1,000	0
10.	3757-राहत एवं पुनर्वास हेतु जिलाध्यक्ष कार्यालय भोपाल में अतिरिक्त अमला	2,95,71,000	2,43,66,844
11.	1142-गैस प्रभावित अनाथ बच्चों पर व्यय 34-002-दवाईयों का क्रय	90,000	61,200
12.	7820-कल्याणी गैस पीड़ित विधवा पेंशन 15-सामाजिक सुरक्षा पेंशन	5,40,00,000	4,80,76,500
13.	1587-यूनियन कार्बाइड परिसर में स्थित अपशिष्ट पदार्थों के विनिष्करण के लिए अध्ययन कार्य, 33-010-अन्य	1,00,000	0
14.	0775-स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत		
	63-001-मशीनें और संयंत्र	1,00,00,000	85,45,990
	63-002-उप वृहद निर्माण कार्य	30,00,000	21,23,211
15.	0775-स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत 64-वृहद निर्माण कार्य, 002-उप वृहद निर्माण कार्य	1,70,00,000	0
16.	3171-भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय		
	64-वृहद निर्माण कार्य, 001-उप वृहद निर्माण कार्य	1,000	0
	64-वृहद निर्माण कार्य, 002-उप वृहद निर्माण कार्य	10,00,000	0
17.	4889-गैस पीड़ित क्षेत्रों में जलप्रदाय योजना	1,000	0

	64-वृहद निर्माण कार्य, 002-उप वृहद निर्माण कार्य		
18.	6281-गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य 64-वृहद निर्माण कार्य, 002-उप वृहद निर्माण कार्य	1,000	0
19.	6281-गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य 64-वृहद निर्माण कार्य, 002-उप वृहद निर्माण कार्य	1,000	0

अध्याय 12

सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का प्रबंध

(धारा 4(1) (बी) (xii))

- सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही गतिविधियाँ/ कार्यक्रमों/ योजनाओं का वर्णन करें जिनके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं के तहत सब्सिडी देने के लिए सब्सिडी की प्रकृति, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और अधिकारी सश्रम के पदनाम की जानकारी प्रदान करें।

कार्यक्रम/ गतिविधि का नाम	प्रकृति/ सब्सिडी का पैमाना	सब्सिडी देने के लिए पात्रता मानदंड	टनुदान देने वाले अधिकारी का पदनाम
संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सब्सिडी प्रदान करने संबंधी कार्य नहीं किए जाते।			

अध्याय- 13

रियायतें, परमिट या के प्राप्तकर्ता के विवरण
लोक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान

(धारा 4(1) (बी) (xiii))

निम्नलिखित प्रारूप में प्रत्येक कार्यक्रम/ योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वालों के नाम और पते प्रदान करें।

संस्थागत लाभार्थी

कार्यक्रम/ योजना का नाम				
स.क्रं.	प्राप्तकर्ता संस्थानों का नाम और पता	लाभ की प्रकृति/ मात्रा	अनुदान की तिथि	अधिकार देने वाले का नाम और पदनाम
संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास के स्तर पर किसी भी संस्था को अनुदान/ लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।				

अध्याय- 14

सूचना इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध है

(धारा 4(1) (बी) (xiv))

कृपया इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध विभाग की विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी का विवरण/ विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट (<https://bgtrrdmp.mp.gov.in>) एवं फ्लॉपी, सीडी, वीसीडी, वेबसाइट, इंटरनेट आदि में उपलब्ध है।


लोक सूचना अधिकारी

संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग
श्रीवाहा

अध्याय- 15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

(धारा 4(1) (बी) (xv))

जानकारी के प्रसार के लिए जनता के लिए उपलब्ध सूचना प्रसार तंत्र के विवरणों का वर्णन करें:-

सुविधा	विवरण(सुविधा/नाम आदि का स्थान)	उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण
विभागीय वेबसाईट	https://bgtrrdmp.mp.gov.in	
समाचार पत्र		
सूचना पटल		
सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म		
अभिलेखों का निरीक्षण		
दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था		

अध्याय- 16

नाम, पदनाम और जनता के अन्य विवरण

सूचना अधिकारी

(धारा 4(1) (बी) (xvi))

कृपया निम्नलिखित प्रारूप में सार्वजनिक सूचना अधिकारी और विभिन्न कार्यालयों/प्रशासनिक इकाईयों और सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए अपीलीय प्राधिकरण/अधिकारीओं के लिए नामित सहायक जनसूचना अधिकारियों के बारे में संपर्क जानकारी प्रदान करें:-

लोक सूचना अधिकारी:

स. क्र.	कार्यालय/प्रशासनिक इकाई का नाम	पी.आई.ओ का पदनाम	कार्यालय एवं निवास दूरभाष/फैक्स	ई-मेल
01	संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल	सहायक संचालक वित्त	0755-2441026	dirgr@nic.in

सहायक लोक सूचना अधिकारी:

स. क्र.	कार्यालय/प्रशासनिक इकाई का नाम	ए.पी.आई.ओ का पदनाम	कार्यालय एवं निवास दूरभाष/फैक्स	ई-मेल
01.	संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल	सहायक ग्रेड-3	0755-2441026	dirgr@nic.in

प्रथम अपीलीय अधिकारी:

स. क्र.	कार्यालय/प्रशासनिक इकाई का नाम	एफ.ए.ए. अपीलीय अधिकारी का पदनाम	कार्यालय एवं निवास दूरभाष/फैक्स	ई-मेल
01	संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल	संचालक	0755-2441026	dirgr@nic.in


अध्याय- 17

अन्य उपयोगी जानकारी

(धारा 4(1) (बी) (xvii))

कृपया उन अन्य जानकारी या प्रकाशनों का विवरण नीचे दें प्रासंगिक है या नागरिकों के उपयोग के है :-

1. वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन (विभाग से सम्बन्धित)
2. विभागीय वेबसाईट (<https://bgtrrdmp.mp.gov.in>)


लोक सूचना अधिकारी
संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग
भोपाल

अध्याय- 18

निविदाओं आदि से सम्बन्धित जानकारी कार्यालय में भंडार एवं वाहन शाखा द्वारा सामग्री तथा वाहनों के संबंध में क्रय/विक्रय/किराये के वाहन आदि प्रक्रिया का निष्पादन नियमानुसार/विधि अनुसार संपादित करने की व्यवस्था है।

अध्याय- 19

सार्वजनिक निजी साझेदारी
निरंक

अध्याय- 20

स्थानान्तरण नीति और स्थानान्तरण आदेश
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार

अध्याय- 21

आर.टी.आई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण
नियमानुसार आर.टी.आई. के प्राप्त आवेदनो पर कार्यवाही कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण
किया जाता है।

अध्याय-22

सी.ए.जी. और पी.ए.सी. पैरा
नियमानुसार सी.ए.जी. और पी.ए.सी. पैरा के संबंध में कार्यालयीन अभिलेख के आधार पर कार्यवाही की
जाकर निराकृत करने हेतु प्रशासकीय विभाग स्तर से विधि अनुरूप पालन पी.ए.सी. किये जाने की
व्यवस्था है।

अध्याय-23

नागरिक चार्टर / सेवा प्रदाय एक्ट
कार्यालयीन प्राप्त सभी पत्रों/आवेदनों पर नियमानुसार एवं विधि अनुरूप समय-सीमा में नागरिक
सेवाएं प्रदाय करने की व्यवस्था प्रावधानित है।

अध्याय-24


डिस्क्रेशनरी और नॉन-डिस्क्रेशनरी अनुदान (विवेकाधीन और गैस-विवेकाधीन अनुदान)

.....निरंक.....

अध्याय-25

सीएम/मंत्रियों/अधिकारियों के विदेशी दौरे

प्रशासकीय विभाग से संबंधित (कार्यालय स्तर की जानकारी निरंक है)


लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय गैस राहत एवं पुनर्वासि विभाग
झोपाल